राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 77 / 2020

गुलाब प्रकाश जोशी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा (ग्रुप–द्वितीय), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.08.2020
आदेश की दिनांक : 21.11.2024

उपस्थित
अपीलार्थी की ओर से : श्री दीपक बिश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2019 एवं 28.11.2017 को अपास्त किये जाने और अपीलार्थी को उस से कनिष्ठ कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दिये जाने की तिथि से पदोन्नत किये जाने और उससे सम्बंधित पारिणामिक लाभ प्रदान करने का अनुतोष चाहा है।

2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थायी आधार पर आदेश दिनांक 31.03.1987 (अनुलग्नक–1) द्वारा लेबोरेट्री–बॉय के पद पर वेतन श्रृंखला 1710–10–850–15–910 में शिक्षा विभाग, नागौर में हुई थी जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.04.1987 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, संखवास जिला नागौर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 21.03.1990 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 08.04.1989 से सेवा में स्थाई किया गया। अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 05.10.1988 द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, संखास जिला नागौर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जामसर जिला बीकानेर में स्थानान्तरित किया गया और अपीलार्थी को दिनांक 19.11.1988 को संखवास से कार्यमुक्त किया गया व दिनांक 20.11.1988 को नये पदस्थापन स्थाान पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को पुनः जामसर जिला बीकानेर से राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नागौर में आदेश दिनांक

06.11.1990 द्वारा स्थानान्तरित किया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 13.11.1990 जामसर से कार्यमुक्त होकर दिनांक 19.11.1990 को कार्यग्रहण किया तभी से अपीलार्थी वहां पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने लेबोरेट्री बॉय के पद पर दिनांक 08.04.1987 को कार्यग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 19.11.1988 तक नागौर जिले में कार्य किया और दिनांक 20.11.1988 से 13.11.1990 तक बीकाने जिले में शिक्षा विभाग के अधीन कार्य किया।

3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु तैयार की गई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 94 पर दर्शाया गया जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि गलत थी (अनुलग्नक–3)। वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 21.11.1990 अंकित है जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 08.04.1987 है। अपीलार्थी द्वारा इस पर आपत्ति किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मार्गदर्शन चाहा जिसके जवाब में पत्र दिनांक 17.05.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा इसे स्पष्ट किया गया कि एक ही विभाग में स्थानान्तरण से वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं आयेगा। जिसकी पालना में आदेश दिनांक 27.09.2016, 14.10.2016 एवं 17.10.2016 जारी किये गये और अपीलार्थी की वरिष्ठता को संशोधित कर प्रथम नियुक्ति तिथि 08.04. 1987 से वरिष्ठता निर्धारित की गई। उक्त सभी आदेश अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध हैं। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता को पुनः परिवर्तित किया गया (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी को कोई भी सुनवाई का अवसर दिये बिना और बिना किसी कारण के अपीलार्थी करी वरिष्ठता को पुनः बदल दिया गया। कई लेबोरेट्री बॉय जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं उन्हें वरिष्ठता सूची के आधार पर आदेश दिनांक 30.11.2017 (अनुलग्नक–7) द्वारा पदोन्नति प्रदान करदी गई और अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। माह सितम्बर 1987 तक सेवा में कार्यग्रहण करने वालों को पदान्नति प्रदान कर दी गई है। जबकि अपीलार्थी ने माह अप्रेल 1987 में सेवा में कार्यग्रहण किया था और अपीलार्थी को बिना किसी कारण के पदान्नति से वंचित रखा गया है। पत्र दिनांक 01.11.2019 (अनुलग्नक–8) द्वारा यह गलत निर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी शैक्षणिक योग्य के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को जो अपीलार्थी के समान शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनको कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 30.11.2017 (अनुलग्नक–7) एवं 01.11.2019 (अनुलग्नक–8) से पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

4. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 07.09.2016 से यह स्पष्ट किया गया है कि कनिष्ठ लिपिक पद के प्रावधान चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू नहीं होते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पृथक सेवा नियम 1963 व 1990 हैं जिनके अनुसार उक्त पदों हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि को ही विचार में लिया जायेगा (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी द्वारा एक विधिक नोटिस दिनांक 22.10.2018 व 23.07.2019 (अनुलग्नक–10 व 11) को प्रत्यर्थीगण को दिये गये। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आदेश दिनांक 30.06.2017 द्वारा अपीलार्थी से 9 कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई तथा उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में था। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में दिनांक 17.1.2016 को जोडा गया था जिसे दिनांक 28.11.2019 द्वारा हटा दिया गया है। स्पष्ट है कि पदोन्नति आदेश की तिथि को अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में था अतः अपील स्वीकार कर वांछित अनुतोष स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी निर्धारित है जबकि अपीलार्थी द्वारा सैकण्डरी की योग्यता धारित है। साथ ही अपीलार्थी ने स्वयं की इच्छा से नागौर जिले से बीकानेर व पुनः बीकानेर से नागौर स्थानान्तरण करवाया था। अतः वरिष्ठता दिनांक 19.11.1990 से मानी जायेगी। अतः आदेश दिनांक 02.08.1996 के दृष्टिगत अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्य धारित नहीं करने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। यह भी निवेदन किया कि जिला परिवर्तन के साथ वरिष्ठता में परिवर्तन नहीं होने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। आदेश दिनांक 30.11.2017 पूर्णतया नियमानुसार है अतः अपील खारित किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन कर मनन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.03.1987 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाऐं, नागौर द्वारा लेबोरेट्री बॉय के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, तत्पश्चात् अपीलार्थी के बीकानेर जिले में स्थानान्तरण होने पर उसने नागौर से दिनांक 19.11.1988 को कार्यमुक्त होकर 20.11.1988 को बीकानेर जिले में कार्यग्रहण किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, बीकानेरी द्वारा अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के

पद पर दिनांक 04.08.1989 से स्थायीकरण किया गया। जिस समय अपीलार्थी का आदेश दिनांक 21.03.1990 द्वारा स्थायीकरण किया गया। उस समय अपीलार्थी बीकानेर जिले में पदस्थापित था। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर द्वारा वर्षउ 2013–14 हेतु जारी सहायक कर्मचारियों व लेबोरेट्री बॉय की स्थायी पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 94 पर अंकित थाा जिसमें उसकी सेवा में कार्यग्रहण तिथि 21.11.1990 अंकित है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1963 एवं 1999 में विभाग में अन्तर जिला स्थानान्तरण होने पर वरिष्ठता प्रभावित होने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके आधार पर अपीलार्थी की वरिष्ठता पुनःनिर्धारित कर क्रम संख्या 26–अ पर निर्धारित की गई। फिर अचानक आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा वरिष्ठता को पुनः 115–अ/55–90 पर निर्धारित किया गया। इस आदेश में पुनः वरिष्ठता दिलने के सम्बन्ध में कोई कारण/आधार अंकित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2013 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व समकक्ष को कनिष्ठ लिपिक के पद पर सत्र 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश में भी अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, नागौर ,ारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित पत्र दिनांक 01.11.2019 में यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को नागौर जिले में दिनांक 19.11.1990 को लेबोरेट्री बॉय पद पर कार्यग्रण करते ही वरिष्ठता क्रमांक 115–अ वर्ष 55–1990 पर नियमानुसार जोडा गया है। वरिष्ठता में नाम जोडने का आधार अन्य जिलों से सम्बंधित जिले में स्वैच्छिक स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण की तिथि है। साथ ही निवेदन किया गया कि नागौर जिले में अभी तक क्रम संख्या 111–ब वर्ष 85–55/1990 तक के कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.12.2012 के अनुसार कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष और RSCIT निर्धारित की गई है। अपीलार्थी की योग्यता सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने से यह पात्रता में नहीं आते हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विभाग में अन्तर जिला स्थानान्तरण होने पर वरिष्ठता प्रभावित करने सम्बन्धी प्रावधान नियमों में नहीं हैं। प्रभावित कार्मिक से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्श्रनत करने की दिनांक को

यदि कार्मिक की योग्यता वांछित योग्यता है तो वह परिलाभ प्राप्त करने का हकदार है।

8. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा दो बिन्दु उठाए गये हैं। प्रथम यह कि उसकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से निर्धारित की जावे और अन्तर जिला स्थानान्तरण से वरिष्ठता निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं डाला जावे। द्वितीय यह कि सही वरिष्ठता का निर्धारण किया जाकर उसे कनिष्ठ लिपिक पद पर उस तिथि से पदोन्नत किया जावे जिस तिथि से उस से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

9. आलोच्य पत्र दिनांक 01.11.2019 में यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक पद हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.12.2012 के अनुसार निर्धारित योग्यता सीनियर सैकण्डरी और RSCIT धारित नहीं करता है। अपीलार्थी की ओर से इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया और न ही उसके द्वारा यह कहा गया कि वह कनिष्ठ लिपिक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करता है। अपीलार्थी की ओर से मात्र यह कहा गया कि उसके समान योग्यधारी कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। परन्तु उसके द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी का विवरण पेश नहीं किया गया है। अतः हमारा यह मानना है कि बिना निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित किये पदोन्नति की मांग किया जाना नियमानुसार नहीं है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2006 में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। RSCIT की योग्यता धारित करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जहां तक अन्तर जिला स्थानान्तरण यदि कर्मचारी की स्वेच्छा से होता है उस दशा में उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी, यह एक सामान्य नियम है और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पत्रों में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है और अपील खारिज योग्य होने के आधार पर यह अपील इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य